फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री प्रेमशंकर बनाम श्री चेनराम

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act

पत्रावली संख्या : 83 / 22 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	दिनांक : 02.08.2022 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री दिनेश डांगी द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा नउवा पटवार हल्का नउवा की आराजी नम्बर 1551, 1552, 1558, 2764/1548, 2767/1549, 2772/1561, 2775/1562, 2778/1810, 2783/1555 किता 9 रकबा 1.9633 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 से 6 आगामी आदेश तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाए रखे, वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करें, प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।** विपक्षीगण को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 23.08.2022 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Kapil Kumar Kothari Date: 2022.10.07 16:28:12 IST Reason: SelfAttested 2/8/22 सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

22/8/22

पत्रावली पेश, SDO महोदय [illegible] [illegible] दि. 12/6 के नोटिस ATS तामील प्राप्त नहीं हो। पत्रावली दिनांक 16/9/22 को पेश हो।

16/9/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। विपक्षीगण अनु., आवाज दिलवाई गई, अनुपस्थित है अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते बहस TI दिनांक 22/9/22 को पेश हो।

22/09/2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार होने से TI में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। ड्रोप की जाती है। अत: पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested